न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर
(जिला – जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :–भवानी सिंह, आर.ए.एस.
जी.सी.एम.एस नम्बर :– 2025/36

प्रार्थी	बनाम	**अप्रार्थी**
तहसीलदार बालेसर		ग्राम बस्तवा माताजी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131,132,136 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60,66 एवं 86

::आदेश::

दिनांकः– 12/02/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। तहसीलदार बालेसर द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2025/351 दिनांक 10.02.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,136 भू.राजस्व अधिनियम सपठित धारा 58,59,60,66,86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 इस आशय का प्रस्तुत किया। तहसीलदार बालेसर के उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी की मौका फर्द के अनुसार फसल खरीफ दौराने गिरदावरी **ग्राम बस्तवा पटवार मण्डल बस्तवा तहसील बालेसर** में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो भी मौका पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड तथा जमाबन्दी में अंकन नहीं है। तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू. राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 58 के प्रोग्रामानुसार फसल खरीफ संवत 2076 गिरदावरी के दौरान **ग्राम बस्तवा पटवार मण्डल बस्तवा तहसील बालेसर के खसरा नम्बर 379, 381, 353/1, 349, 394, 394/1, 396, 396/1, 342, 343, 334, 332, 333** में कदीमी व सार्वजनिक प्रकृति के रास्ता मौके पर चालू है परन्तु इनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी व नक्शे मे अंकन नही है। तहसीलदार बालेसर द्वारा उक्त खसरो मे चल रहे आवंगमन के रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप में दर्ज करने की अनुशंषा की गई है।

हमने पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप 6) के परिपत्र कमांक प3 (2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.16 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे बारहमासी रास्ता जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ते [illegible] में मौजूद है तथा अब पब्लिक इस रास्ते का आवगमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे हैं ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता काफी लम्बा है जो एक ढाणी से दूसरी ढाणी को जोडता है। तहसीलदार बालेसर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:35:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त बाद गौर तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मोके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीन नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना राज्यहीत में एवं न्यायोचित प्रतीत होता है साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म गै.मु.रास्ता किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार का स्वीकार कर बारहमासी **ग्राम बस्तवा पटवार मण्डल बस्तवा तहसील बालेसर के निम्न खसरा नम्बरो मे प्रस्तावित रास्ते का** प्रस्ताव के संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शें में वर्णित लाल मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, निम्न प्रस्तावित भूमि कि किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी, किन्तु भूमि निजी खाते में होने की सूरत में पूर्ववत निजी खाते में रहेगी तथा नक्शें में रास्ते की भूमि का लाल स्याही से अंकन किया जावें उक्त कार्यवाही नामान्तरकरण प्रक्रिया जरिये संपादित की जावें। प्रस्तावों के सलंग्न तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रस्तावित नक्शा एवं मौका फर्द इस आदेश के अभिन्न अंग रहेगें।

क्र. स.	नाम पटवार मण्डल	नाम राजस्व ग्राम	प्रभावित होने वाले निम्नानुसार खसरें	खसरे का कुल रकबा (हैक्टेयर मे)	खसरे में से प्रभावित होने वाला रकबा (हैक्टेयर मे)
01	बस्तवा	बस्तवा	379	12.3834	0.2557
02	बस्तवा	बस्तवा	381	1.2950	0.0846
03	बस्तवा	बस्तवा	353/1	0.7932	0.1398
04	बस्तवा	बस्तवा	349	2.0801	0.0282
05	बस्तवा	बस्तवा	394	1.6835	0.0162
06	बस्तवा	बस्तवा	394/1	1.9026	0.0564
07	बस्तवा	बस्तवा	396	2.6224	0.0242
08	बस्तवा	बस्तवा	396/1	2.6547	0.0552
09	बस्तवा	बस्तवा	342	1.1655	0.0242
10	बस्तवा	बस्तवा	343	3.5369	0.1459
11	बस्तवा	बस्तवा	334	5.1638	0.0242
12	बस्तवा	बस्तवा	332	2.8166	0.0404
13	बस्तवा	बस्तवा	333	2.7680	0.0466

निर्णय आज दिनांक 12.2.2025 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार को प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर के दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय बालेसर

पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,
बालेसर

क्रमाक वाचक/2025/47 दिनांक 12/2/25

1. तहसीलदार बालेसर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:35
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,
बालेसर

Scanned with OKEN Scanner